



भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

Aimer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

Mine Code: 34RAJ06001

संख्या : RAJ/BHL-56/PB-ZN-01/Vol-II

दिनांक: 06.09.2022

माइन एजेंट, रामप्रा आग्चा लेड जिंक माइन,

मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमटेड, गाँव-रामपुरा,तहसील-ह्रडा,

जिला-भीलवाड़ा(राजस्थान) 311029

Email: kishore.s@vedanta.co.in,sanjay.sharma@vedanta.co.in

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Rampura

Agucha Lead Zinc Mine (Lease area 1200.00Hect.) situated in Bhilwara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 13.07.2022 by the undersigned in presence of Shri Sachin M Deshmukh, Mine Manage &

Rule No.	Nature of violation observed in detail		
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modification in Review of Mining Plan (Approved on 27.03.2018): -		
	Year	Proposed Development(m)	Actual Development(m)
	2021-22	35943	29107
	It shows that shortfall in undergraound mine development. 2) During the stoping inspection, it was observed that ventilation condition was poor at -405mRL level.		

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली,

आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है। (क)

आपकें विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।

3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो